न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
001/2022(रसद) **(GCMS 2022/15)**	**11.03.2022**	**24.05.2022**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस थानाधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. पीरूलाल पिता रतनलाल जाति जीनगर निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. कैलाशचन्द्र पिता दुर्गाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षीगण

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षीगण

<u>आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत्</u>
<u>जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्</u>

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थानाधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट 056/2020 दिनांक 11.02.2020 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ज्योति खटीक हाल प्रवर्तन निरीक्षक राशमी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा उपस्थित थाना हो एक टाईप शुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/रसद/विधि/2020/374 दिनांक 07.02.2020 की पालना में मुझ प्रवर्तन निरीक्षक राशमी जिला चित्तौड़गढ़ को उचित मूल्य की दुकान पहुँना के दुकानदार (पोस मशीन कोड 13758) पीरू जीनगर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश प्राप्त हुए। जिसकी पूर्व में जांच शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा की गई है। जांच से उचित मूल्य की दुकान पहुँना के दुकानदार पीरू जीनगर के द्वारा सितम्बर 2016 से जून 2019 तक उक्त दुकान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से कुल 47605 किलोग्राम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूॅ, 20.1 लीटर केरोसीन, 116.15 किलोग्राम चीनी का गबन किया जाना पाया है। उचित मूल्य की दुकान पहुॅना के दुकानदार पीरू जीनगर जो वर्तमान में रसद विभाग के आदेश क्रमांक/रसद/विधि/2019/247 दिनांक 28.08.2019 के द्वारा निलम्बित चल रहा है। अतः उचित मूल्य की दुकान पहुॅना के दुकानदार पीरू जीनगर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें। इस पर प्रकरण संख्या 056/2020 धारा 409 भादस. में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। दौराने अनुसंधान बयान प्रार्थी के लेखबद्ध किये गये एवं प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा फर्द मौका वगैरा किया गया हुआ संलग्न पत्रावली किया गया एवं दौराने अनुसंधान प्रकरण हाजा में वार्ड वासियों के असल राशनकार्ड प्राप्त कर संलग्न पत्रावली किया गया। अनुसंधान से मुल्जिम पीरूलाल पिता रतनलाल जीनगर निवासी पहुॅना के विरूद्ध जुर्म धारा 409 भादस का अपराध प्रमाणित पाया जाने से मुल्जिम को गिरफ्तार कर मुल्जिम की सूचना पर 20 कट्टों में 10 क्विंटल गेंहूॅ के बरामद किये गये। मुल्जिम पीरूलाल जीनगर बरामद शुदा गेंहूॅ कैलाशचन्द्र शर्मा पिता दुर्गाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सिंहपुर थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ़ को बेचना बताया। मुल्जिम कैलाशचन्द्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की पालना में न्यायालय राशमी में सरेण्डर होने से मुल्जिम को न्यायालय श्रीमान की पालना में प्रकरण हाजा में मुल्जिम कैलाश चन्द्र पिता दुर्गाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सिंहपुर थाना कपासन को गिरफ्तार कर प्रकरण हाजा में अनुसंधान किया गया। मुल्जिमान को न्यायालय आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण हाजा में सम्पूर्ण अनुसंधान से मुल्जिम पीरूलाल पिता रतनलाल जीनगर निवासी पहुॅना के विरूद्ध जुर्म धारा 409 भादस व धारा 3/7 ईसी एक्ट, कैलाशचन्द्र पिता दुर्गाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सिंहपुर थाना कपासन के विरूद्ध जुर्म धारा 409, 120बी भादस व 3/7 ईसी एक्ट का अपराध बखूबी प्रमाणित पाया जाने से चार्जशीट नंबर 41/2021 दिनांक 26.04.2021 को कता कर न्यायालय राशमी में पेश की जा चुकी है जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तशुदा 10 क्विंटल गेंहूॅ को राजसात कराने का आदेश फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 13.04.2022 को विपक्षी संख्या 1 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी संख्या 1 की विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 24.05.2022 को विपक्षी संख्या 2 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार ने प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की। इस पर हाजिर पैरोकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एकतरफा सुना गया। पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/रसद/विधि/2020/374 दिनांक 07.02.2020 की पालना में प्रवर्तन निरीक्षक राशमी जिला चित्तौड़गढ़ को उचित मूल्य की दुकान पहुॅना के दुकानदार (पोस मशीन कोड 13758) पीरू जीनगर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश प्राप्त हुए। जिसकी पूर्व में जांच प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा की गई है। जांच से उचित मूल्य की दुकान पहुॅना के दुकानदार पीरू जीनगर के द्वारा सितम्बर 2016 से जून 2019 तक उक्त दुकान से कुल 47605 किलोग्राम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूॅ, 20.1 लीटर केरोसीन, 116.15 किलोग्राम चीनी का गबन किया जाना पाया है। उचित मूल्य की दुकान पहुॅना के दुकानदार पीरू जीनगर जो वर्तमान में रसद विभाग के आदेश क्रमांक/रसद/विधि/2019/247 दिनांक 28.08.2019 के द्वारा निलम्बित चल रहा है। अनुसंधान से मुल्जिम पीरूलाल पिता रतनलाल जीनगर निवासी पहुॅना के विरूद्ध जुर्म धारा 409 भादस का अपराध प्रमाणित पाया जाने से मुल्जिम को गिरफ्तार कर मुल्जिम की सूचना पर 20 कट्टों में 10 क्विंटल गेंहूॅ के बरामद किये गये। मुल्जिम पीरूलाल जीनगर बरामद शुदा गेंहूॅ कैलाशचन्द्र शर्मा पिता दुर्गाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सिंहपुर थाना कपासन जिला चित्तौड़गढ़ को बेचना बताया। मुल्जिमान को न्यायालय आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण हाजा में सम्पूर्ण अनुसंधान से मुल्जिम पीरूलाल पिता रतनलाल जीनगर निवासी पहुॅना के विरूद्ध जुर्म धारा 409 भादस व धारा 3/7 ईसी एक्ट, कैलाशचन्द्र पिता दुर्गाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सिंहपुर थाना कपासन के विरूद्ध जुर्म धारा 409, 120बी भादस व 3/7 ईसी एक्ट का अपराध बखूबी प्रमाणित पाया जाने से चार्जशीट नंबर 41/2021 दिनांक 26.04.2021 को कता कर न्यायालय राशमी में पेश की गई जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गेंहू मय बारदान राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। विपक्षी से जब्तशुदा गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाना होना प्रमाणित है। विपक्षी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की जाने वाली सामग्री का अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा कालाबाजारी करने के लिए अवैध रूप से विक्रय करना प्रमाणित पाया जाता है। इस हेतु विपक्षीगण पूर्णतः जिम्मेदार है। विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाये जाने से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पर किसी भी प्रकार का आवेदन का खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जब्तशुदा गेहूँ 10 क्विंटल मय बारदाना को राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदक पुलिस थानाधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 056/2020 दिनांक 11.02.2020 में जब्त शुदा 20 कट्टों में 10 क्विंटल गेहूँ मय बारदाना को राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गेहूँ मय बारदाना के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी राशमी को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **24.05.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-S/D-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official